सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-3180/JH/17/2024-ESDW दिनांक : 16.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
समाहरणालय, जिला-साहिबगंज,
साहिबगंज-816109,
(झारखंड)
Email Id: dc-sah@nic.in

विषय: **आदिवासी कल्याण छात्रावास साहिबगंज में छात्रों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होने के कारण रहने में असुविधा के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव/ Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
आदिवासी कल्याण छात्रावास,
साहिबगंज महाविद्यालय,
जिला साहेबगंज, झारखंड- 816109,

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-3180/JH/17/2024-ESDW

अभ्यावेदन, आदिवासी कल्याण छात्रावास, साहेबगंज में उपलब्ध सीटों की तुलना में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण उत्पन्न आवासीय एवं आधारभूत सुविधाओं की समस्याओं के संबंध में, के प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत ।

सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार
सुनवाई का स्थान : परिसदन, दुमका, झारखंड

प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि आदिवासी कल्याण छात्रावास, साहेबगंज में छात्रों की संख्या उपलब्ध 100 सीटों की तुलना में अधिक होने के कारण विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के अभाव में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साहेबगंज महाविद्यालय में इंटरमीडिएट से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई संचालित होती है, जिसमें B.Ed., BCA एवं B.Lib. के छात्र भी अध्ययनरत हैं। अभ्यावेदन के अनुसार, वर्तमान छात्रावास की क्षमता अपर्याप्त है तथा इस संबंध में कई बार आवेदन दिए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अतः छात्रों ने आयोग से स्नातकोत्तर विद्यार्थियों हेतु 200 सीटों वाले छात्रावास का निर्माण, B.Ed., BCA एवं B.Lib. छात्रों के लिए 100 सीटों वाले पृथक छात्रावास की व्यवस्था, छात्रावास परिसर में साइकिल स्टैंड, चारदीवारी की मरम्मत, रसोईघर एवं भोजनालय, पुस्तकालय एवं टी.वी. हॉल की स्थापना तथा स्नानघर, अतिरिक्त शौचालय एवं PCC सड़क के निर्माण की मांग की है।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 10.09.2024 को उपायुक्त, जिला-साहेबगंज, झारखंड को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। तथापि, आयोग के उक्त नोटिस के संदर्भ में संबंधित प्राधिकारी से कोई प्रतिवेदन/उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अभ्यावेदक के अनुरोध तथा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मामले पर विचार किया गया और सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को सिटिंग सूचना (Sitting Notice) निर्गत की गई।

3. सुनवाई के दौरान अपर समाहर्ता (ADC), साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO), साहेबगंज आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदिवासी कल्याण छात्रावास, साहेबगंज में 100 शैय्या की स्वीकृति प्राप्त है। छात्रावास के छात्र नायक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में छात्रावास में लगभग 300 छात्र/छात्राएँ निवास कर रहे हैं, जिसके कारण आवासीय क्षमता से अधिक छात्रों के रहने से विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। यह भी अवगत कराया गया कि छात्रावास भवन के निर्माण/विस्तार का विषय विभागीय स्तर से संबंधित है |

आशा लकड़ा

4. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वरा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

आयोग अनुशंसा करता है कि आदिवासी कल्याण छात्रावास, साहेबगंज में छात्रों की संख्या एवं उपलब्ध आवासीय क्षमता के मध्य विद्यमान असंतुलन को ध्यान में रखते हुए छात्रावास के विस्तार अथवा नए छात्रावास के निर्माण की आवश्यकता का शीघ्र आकलन किया जाए। यदि विभागीय निधि पर्याप्त उपलब्ध न हो, तो जिला प्रशासन जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (DMFT) अथवा अन्य उपलब्ध स्रोतों से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

की संभावना पर विचार करे। साथ ही, अपर समाहर्ता (ADC), साहेबगंज यथाशीघ्र छात्रावास का निरीक्षण कर छात्रों की समस्याओं से अवगत हों तथा उनके समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करें।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi